45. चुनाव समिति—(1) एक चुनाव समिति होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे—

(क) अध्यक्ष..... *सभापति;*

(ख) कार्य समिति का एक सदस्य जिसे कार्य समिति प्रति वर्ष निर्दिष्ट करेगी;

(ग) उस विभाग का अध्यक्ष जिसके लिए नियुक्ति की जानी है.... *सचिव* ।

(2) समिति परामर्श देने में निर्णय बहुमत द्वारा करेगी और समिति के प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा।

46. इस अधिनियम के प्रचलित होने का वर्तमान अधिकारियों तथा सेवकों पर प्रभाव—(1) समस्त अधिकारी तथा सेवक [1][जो उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक के ठीक पूर्व जिला परिषद् के नियोजन में हो], धारा 39 तथा 43 में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, [2][जिला पंचायत] द्वारा नियोजित अधिकारी तथा सेवक हो जाएंगे और जब तक कि धारा 39 के अधीन सृजित पदों पर नियुक्ति न हो जाए, वे उन्हीं वेतनों तथा भत्तों के अधिकारी होंगे जिनके अधिकारी वे उक्त दिनांक के ठीक पहले थे और सेवा की उन्हीं शर्तों के अधीन रहेंगे जिनके अधीन वे उक्त दिनांक के ठीक पहले थे।

(2) धारा 39 के अधीन सृजित पदों पर उपधारा (1) में उल्लिखित अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा—

(क) उन पदों पर नियुक्तियां, जिनके लिए धारा 43 की उपधारा (1) के अधीन आयोग का परामर्श लेना आवश्यक है, उक्त उपधारा के उपबन्धों के अनुसार की जाएंगी;

(ख) अन्य पदों पर नियुक्तियां तदर्थ बनाए गए नियमों के अनुसार अध्यक्ष द्वारा की जाएंगी :

प्रतिबन्ध यह है कि अध्यक्ष द्वारा की गई किसी नियुक्ति से क्षुब्ध कोई अधिकारी या सेवक उस आदेश के दिनांक से जिसके द्वारा नियुक्ति की गई हो, तीस दिन के भीतर मण्डल के आयुक्त को अभ्यावेदन दे सकता है और उस दशा में मण्डल के आयुक्त का निर्णय अन्तिम तथा बन्धनकारी होगा;

(ग) यदि किसी पद के लिए पूर्वोक्त अधिकारियों तथा सेवकों में से कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो, तो उस पद पर नियुक्ति इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन बाहर से की जा सकती है [3][। ऐसे अधिकारियों तथा सेवकों की उपयुक्तता पर नियत रीति से विचार किया जाएगा;]

(घ) यदि उपर्युक्त कोई अधिकारी या सेवक उस पद को, जिस पर उसे नियुक्त किया जाए, इस आधार पर अस्वीकार कर दे कि उस पद से सम्बद्ध वेतन या वेतन का कालमान उसके वर्तमान वेतन या वेतन के कालमान से कम है, तो उसकी सेवा ऐसे नोटिस के पश्चात् तथा उन शर्तों पर समाप्त कर दी जाएगी जिनका अधिकारी वह उस दशा में होता जब कि इस अधिनियम के पारित हुए बिना ही उसका पद समाप्त कर दिया जाता;

(ङ) खण्ड (क) तथा (ख) के अधीन नियुक्तियां करने में अधिकारियों तथा सेवकों के सेवाकाल तथा अनुभव का यथोचित ध्यान रखा जाएगा; और

(च) कोई अधिकारी अथवा सेवक जो ऐसे पद पर नियुक्त किया जाए जिसका वेतन या वेतन का कालमान उसके वर्तमान वेतन या वेतन के कालमान से कम हो, उस आदेश के दिनांक से जिसके द्वारा इसे उक्त पद पर नियुक्त किया जा रहा हो, तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को अभ्यावेदन दे सकता है और उस दशा में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम तथा बन्धनकारी होगा।

---

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 21 सन् 1995 द्वारा प्रतिस्थापित
2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 9 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित
3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 2 सन् 1963 की धारा 20 द्वारा सेमीकोलन के स्थान पर पूर्ण विराम रखा गया तथा उसके बाद कुछ शब्द तथा सेमीकोलन जोड़े गए